District Magistrate Office, Bijnor

Ref. No.- 538/N-26/General-2021 **Date. -** 9/11/2021

To,

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal (PB),
New Delhi.

Sub.-Compliance report in the matter of OA No.-201/2020 Arvind kumar & Anr. V/s Central Pollution Control Board & Ors.

Respected sir,

In the above matter the Hon'ble NGT (PB), New Delhi has passed the order dated 16.06.2021. Details of the order is as under.

"........In view of the above, we direct District Magistrate, Bijnor in coordination with Municipal Council, Noorpur and any other concerned authority to ensure effective steps for scientific management of the waste, ensuring that no foul smell and air or land pollution takes place. It is made clear that if no satisfactory action is taken in terms of these directions, the Tribunal may be left with no other options except to take coercive measures under the provisions of the National Green Tribunal Act, 2010 which can include civil imprisonment and cut in or attachment of salary of the concerned heads of the departments. Under the provisions of Air Act, EP Act and SWM Rules (Rule 16), the State PCB is empowered and expected to take measures for non-compliance. Let the State PCB take necessary steps in the matter before the next date.

In compliance of the above order notices has been issued to the Nagar Palika Parishad Noorpoor, Distt-Bijnor by the District Magistrate Bijnor letter no. 134/N-26/General-2021 dated-22.06.2021, letter no. 320/N-26/General-2021 dated-26.08.2021 and letter no. 463/N-26/General-2021 dated-05.10.2021. For the compliance of the above order and Municipal Solid Waste Rule-2016 as amended 2018 notice has been also sent to Nagar Palika Parishad Noorpoor, Distt-Bijnor by the RO Bijnor by letter no. 143/N-4/General-2021 dated-24.06.2021. Nagar Palika Parishad Noorpoor, Distt-Bijnor has submitted the status report in compliance of the above order by letter no. 15/NPP Noorpur/2021-22 dated 08.11.2021, verification of the status report submitted by the Nagar Palika Parishad, Noorpoor the joint committee constituted by Additional District Magistrate (Admin.), District Bijnor by office order No. 3400/21-LBC-2020 dated 23-09-2020 carried out the Joint inspection of the Nagar Palika Parishad, Noorpur Municipal Solid Waste disposal facilities center on dated 08.11.2021. The Joint inspection report submitted by the above Joint committee is being enclosed for your kind perusal and necessary action.

9.11.21
District Magistrate
Bijnor

CC.-
1- M.S, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
2-Chief Environment Officer, Circle-7, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.

District Magistrate

COMPLIANCE REPORT

IN

THE MATTER

OF

O.A. NO.-201/2020

Arvind Kumar & Anr. **Applicant(S)**

V/S

Central Pollution Control Board & Ors. **Respondent (S)**

Background: -

In the above matter the Hon'ble NGT (PB), New Delhi has passed the order dated 16.06.2021. Details of the order is as under.

"………In view of the above, we direct District Magistrate, Bijnor in coordination with Municipal Council, Noorpur and any other concerned authority to ensure effective steps for scientific management of the waste, ensuring that no foul smell and air or land pollution takes place. It is made clear that if no satisfactory action is taken in terms of these directions, the Tribunal may be left with no other options except to take coercive measures under the provisions of the National Green Tribunal Act, 2010 which can include civil imprisonment and cut in or attachment of salary of the concerned heads of the departments. Under the provisions of Air Act, EP Act and SWM Rules (Rule 16), the State PCB is empowered and expected to take measures for non-compliance. Let the State PCB take necessary steps in the matter before the next date.

In compliance of the above order notice has been issued to the Nagar Palika Parishad Noorpoor, Distt-Bijnor by the District Magistrate Bijnor letter no. 134/N-26/General-2021 dated-22.06.2021, letter no. 320/N-26/General-2021 dated-26.08.2021 and letter no. 463/N-26/General-2021 dated-05.10.2021. For the compliance of the above order and Municipal Solid Waste Rule-2016 as amended 2018 notice has been also sent to Nagar Palika Parishad Noorpoor, Distt-Bijnor by the RO Bijnor by letter no. 143/N-4/General-2021 dated-24.06.2021. Nagar Palika Parishad Noorpoor, Distt-Bijnor has submitted the status report in compliance of the above order by letter no. 15/NPP Noorpur/2021-22 dated 08.11.2021 (**annexure no 01**), verification of the status report submitted by the Nagar Palika Parishad, Noorpoor the joint committee constituted by Additional District Magistrate (Admin.), District Bijnor by office order No. 3400/21-LBC-2020 dated 23-09-2020 carried out the Joint inspection of the Nagar Palika Parishad, Noorpur Municipal Solid Waste disposal facilities center on dated 08.11.2021 the observation and recommendation of the Joint committee is as under.

<u>Observation: -</u>

1. The Nagar Palika Parishad, Noorpur has purchased 1.416-hectare land for development of the 20 TPD new solid waste disposal center in village-Changipur, Noorpur, District-Bijnor.
2. The construction work of boundary wall at the site has been completed.
3. Legacy waste dumped at the above site has been processed and disposed.
4. 20× 20 square meter of area at new site has been make leachate proof by 150 microns thick PVC sheet has developed and presently used for temporary processing of MSW generated (approx. 9.17 TPD) from the municipal area Nagar Palika Parishad, Noorpur.
5. Presently Nagar Palika Parishad, Noorpur has collect the MSW door to door by the dual chamber type vehicle.
6. The collected dry and wet MSW waste transported at new developed site which is further segregated and store at site for final disposal. Wet waste collected from door to door and send to community composting center for conversion into organic manure through Vermiculture. The dry waste is sent to MRF for further segregation.

Hussain AEE UPPCB Bijnor. RO EO

7. As per Nagar Palika Parishad, Nurpur letter no.15/NPPNoor/21-22 dated 08.11.2021 the dead animal's body (Carcass) received from municipal area are buried in underground pits on land marked area by putting lime and general salt.
8. For developing the scientific manner solid waste disposal as per the MSW Rule 2016 as amended 2018 the Nagar Palika Prishad, Noorpur has been invited tenders through e-tendering from 01/10/2021 to 30/10/2021 till 2:00 PM for supplying the MSW disposal plant capacity of 20 TPD (Tromel Machine of Capacity 20 TPD with 5 conveyor belt), Plastic Baling Press Machine, automated refinement plant for making fertilizer of capacity 12 TPD, Vegetable Shredder Machine of Capacity 01 TPD, 08 Sets Segregated Wins of Capacity 500 ltr, 01 Set Magnet, 01 Set Air Blower, 04 Automatic Square Segregation Table 28 Meter length.
9. As per Nagar Palika Parishad, Nurpur letter no.15/NPPNoor/21-22 dated 08.11.2021 (Copy enclosed) for the supply of MSW disposal plant with capacity of 20 TPD, the above tender has not received any suitable/eligible tender application within the pre-determined time period. Due to that the time limit of tendering period has been extended till 15.11.2021 at 04:00 PM.
10. At present time the Nagar Palika Parishad, Noorpur is being temporarily process all the MSW waste collected from municipal area. For prevention of foul smell Nagar Palika Prishad is being sprayed bio–culture on municipal solid waste.

The above joint inspection report is being submitted for your kind perusal and further necessary action please.

S.N.	Name	Designation	Signature
1	Himanshu Verma	SDM, Chandpur, District-Bijnor.	[signature]
2	Ajeet Kumar Singh	Executive Officer, Nagar Palika Prishad, Noorpur, District-Bijnor.	[signature]
3	Ashutosh Chauhan	Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Bijnor.	[signature]
4	Mahir Hussain	Assistant Environmental Engineer, U.P. Pollution Control Board, Bijnor.	MHussain

कार्यालय जिलाधिकारी, बिजनौर

पत्रांक- 134/N-26/जनरल-2021 दिनांक- 22-6-2021

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, नूरपुर,
जिला–बिजनौर।

मा0 एन0जी0टी0 में दायर याचिका ओ0ए0 संख्या–201/2020 अरविन्द कुमार एवं अन्य बनाम सेन्ट्रल पाल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक–16.06.2021 का अवलोकन करें, जिसके मुख्य अंश निम्नवत् है :–

"…. 5. In view of the above, we direct District Magistrate, Bijnor in coordination with Municipal Council, Noorpur and any other concerned authority to ensure effective steps for scientific management of the waste, ensuring that no foul smell and air or land pollution takes place. It is made clear that if no satisfactory action is taken in terms of these directions, the Tribunal may be left with no other options except to take coercive measures under the provisions of the National Green Tribunal Act, 2010 which can include civil imprisonment and cut in or attachment of salary of the concerned heads of the departments. Under the provisions of Air Act, EP Act and SWM Rules (Rule 16), the State PCB is empowered and expected to take measures for non-compliance. Let the State PCB take necessary steps in the matter before the next date………"

उक्त के अनुपालन में आपको निर्देशित किया जाता है कि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम–2016 के उप नियम–15 के अनुसार अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वाहन करते हुये स्थानीय निकाय क्षेत्र से जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक विधि से डोर टू डोर कलेक्शन, पृथक्कीकरण, संवहन तथा निस्तारण किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा स्थानीय निकाय द्वारा उक्त नियम के अनुपालन में अपनायी जा रही कार्ययोजना की प्रगति आख्या अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब प्रस्तुत किया जाये। कृपया नोट करें कि प्रकरण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा जारी आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये, इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये। अन्यथा उक्त का अनुपालन न किये जाने की दशा में स्वयं उत्तरदायी होंगे।

22-6-21
(उमेश मिश्र)
जिलाधिकारी
बिजनौर

प्रतिलिपिः–
1–अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), बिजनौर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानीय निकाय की नियमित समीक्षा कर उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।
2–क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करते हुये अनुपालन आख्या मा0 न्यायालय एन0जी0टी0 में ससमय प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी
बिजनौर

D.M. Sir file

कार्यालय जिलाधिकारी, बिजनौर

पत्रांक–320/N-26/जनरल-2021 दिनांक– 26-8-2021

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, नूरपुर,
जिला–बिजनौर।

महत्वपूर्ण/मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण
अनुस्मारक–1

मा0 एन0जी0टी0 में दायर याचिका ओ0ए0 संख्या–201/2020 अरविन्द कुमार एवं अन्य बनाम सेन्ट्रल पाल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक–16.06.2021 का अवलोकन करें, जिसके मुख्य अंश निम्नवत् है :–

"…. 5. In view of the above, we direct District Magistrate, Bijnor in coordination with Municipal Council, Noorpur and any other concerned authority to ensure effective steps for scientific management of the waste, ensuring that no foul smell and air or land pollution takes place. It is made clear that if no satisfactory action is taken in terms of these directions, the Tribunal may be left with no other options except to take coercive measures under the provisions of the National Green Tribunal Act, 2010 which can include civil imprisonment and cut in or attachment of salary of the concerned heads of the departments. Under the provisions of Air Act, EP Act and SWM Rules (Rule 16), the State PCB is empowered and expected to take measures for non-compliance. Let the State PCB take necessary steps in the matter before the next date………"

उक्त के अनुपालन हेतु पत्रांक–134/एन–26/जनरल–2021 दिनांक–22.06.2021 के द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम–2016 के उप नियम–15 के अनुसार अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वाहन करते हुये स्थानीय निकाय क्षेत्र से जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक विधि से डोर टू डोर कलेक्शन, पृथक्कीकरण, संवहन तथा निस्तारण किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा स्थानीय निकाय द्वारा उक्त नियम के अनुपालन में अपनायी जा रही कार्ययोजना की प्रगति आख्या अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब प्रस्तुत की जाये, किन्तु उक्त के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या अभी तक अप्राप्त है। अवगत हैं कि प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं समयबद्ध है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा जारी आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा कृत कार्यवाही की आख्या अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत की जाये, इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये। अन्यथा उक्त का अनुपालन न किये जाने की दशा में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा की गयी किसी भी कार्यवाही का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

26.8.21
(उमेश मिश्र)
जिलाधिकारी
बिजनौर

प्रतिलिपिः–

1–अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), बिजनौर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानीय निकाय की नियमित समीक्षा कर उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

2–क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी
बिजनौर

D.M. Sn.tl.

कार्यालय जिलाधिकारी, बिजनौर

पत्रांक– 463/N-26/जनरल-2021 दिनांक– 05-10-2021

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, नूरपुर,
जिला–बिजनौर।

महत्वपूर्ण / मा० एन०जी०टी० प्रकरण
अनुस्मारक–2

मा० एन०जी०टी० में दायर याचिका ओ०ए० संख्या–201 / 2020 अरविन्द कुमार एवं अन्य बनाम सेन्ट्रल पाल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक–16.06.2021 का अवलोकन करें, जिसके मुख्य अंश निम्नवत् है :–

"…. 5. In view of the above, we direct District Magistrate, Bijnor in coordination with Municipal Council, Noorpur and any other concerned authority to ensure effective steps for scientific management of the waste, ensuring that no foul smell and air or land pollution takes place. It is made clear that if no satisfactory action is taken in terms of these directions, the Tribunal may be left with no other options except to take coercive measures under the provisions of the National Green Tribunal Act, 2010 which can include civil imprisonment and cut in or attachment of salary of the concerned heads of the departments. Under the provisions of Air Act, EP Act and SWM Rules (Rule 16), the State PCB is empowered and expected to take measures for non-compliance. Let the State PCB take necessary steps in the matter before the next date………"

उक्त के अनुपालन हेतु पत्रांक–134 / एन–26 / जनरल–2021 दिनांक–22.06.2021 एवं पत्रांक–320 / एन–26 / जनरल–2021 दिनांक–26.08.2021 के द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम–2016 के उप नियम–15 के अनुसार अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वाहन करते हुये स्थानीय निकाय क्षेत्र से जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक विधि से डोर टू डोर कलेक्शन, पृथक्कीकरण, संवहन तथा निस्तारण किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा स्थानीय निकाय द्वारा उक्त नियम के अनुपालन में अपनायी जा रही कार्ययोजना की प्रगति आख्या अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब प्रस्तुत की जाये, किन्तु उक्त के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या अभी तक अप्राप्त है। अवगत हैं कि प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं समयबद्ध है। मा० एन०जी०टी० द्वारा जारी आदेश का अक्षरशः अनुपालन समयबद्ध अवधि में सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है तथा आपको निर्देशित किया जाता है कि कृत कार्यवाही की आख्या अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत की जाये एवं इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये। अन्यथा उक्त का अनुपालन न किये जाने की दशा में मा० एन०जी०टी० द्वारा प्रकरण पर की गयी किसी भी अप्रिय कार्यवाही का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

5.10.21
(उमेश मिश्र)
जिलाधिकारी
बिजनौर

प्रतिलिपिः–
1–अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), बिजनौर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानीय निकाय की नियमित समीक्षा कर उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।
2–क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी
बिजनौर

D.M. Sir file

दूरभाष व फैक्सः (01342) 297424
ई–मेल :– robijnaur@uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालयः महर्षि दयानन्द नगर, निकट सैण्टमेरी स्कूल, आदमपुर–चक्कर रोड, बिजनौर–246701

सन्दर्भ सं0 : 143 / N-41 / जनरल-2021 दिनांक : 24-6-2021

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
नूरपुर, जिला–बिजनौर।

विषयः–ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम–2016 में वर्णित प्राविधानों का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रमुख सचिव, पर्यावरण उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्रांक–एच 21486 / सी–7 / एम0ए0डब्ल्यू0–146 / 2018 दिनांक–08.06.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत उ0प्र0 को ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम–2016 के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रस्संकरण सुविधा की स्थापना, संचालन एवं पुराने परित्यक्त कूड़ा स्थलों के जैविक उपचार या टैपिंग किये जाने के सम्बन्ध में निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम–1986 की धारा–5 के अन्तर्गत निम्न निर्देश जारी किये गये थे :–

1. ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम–2016 के नियम 22 तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0–199 / 2014 अलमित्रा एवं पटेल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक–22.12.2016 के अनुपालन में निर्धारित समयसीमा में प्रदेश में जनित ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित निस्तारण सुनिश्चित किया जाये।
2. नगरीय ठोस अपशिष्ट के नियमानुसार प्रबन्धन हेतु कार्यवाही की अद्यतन स्थिति एवं अनुपालन आख्या बोर्ड को त्रैमासिक रूप से प्रेषित की जाये।
3. गंगा अथवा इसकी सहायक नदियों में एवं इनके फ्लड प्लेन क्षेत्र में नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण को प्रतिबन्धित किये जाने हेतु तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4. गंगा अथवा इसकी सहायक नदियों में ठोस अपशिष्ट अथवा अन्य किसी भी प्रकार के अपशिष्ट का निस्तारण किये जाने पर दोषी व्यक्तियों पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–200 / 2014 में पारित आदेश दिनांक–11.04.2017 में जारी निर्देशों के अनुपालन में रू0 50,000 / –मात्र जुर्माना लगाया जाये।
5. गंगा अथवा इसकी सहायक नदियों के किनारे से 500 मीटर की दूरी के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अपशिष्ट का निस्तारण अथवा लैंडफिल साइट अनुमन्य नहीं है।

उपरोक्त निर्देशों की अद्यतन अनुपालन आख्या वांछित है। जैसा कि आप अवगत हैं कि मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–201 / 2020 अरविन्द कुमार एवं अन्य बनाम सेन्ट्रल पाल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड एण्ड अदर्स के प्रकरण में दिनांक–16.06.2021 को निम्नानुसार आदेश पारित किया गया है, जिसके मुख्य अंश निम्नवत् है :–

"…. 5. In view of the above, we direct District Magistrate, Bijnor in coordination with Municipal Council, Noorpur and any other concerned authority to ensure effective steps for scientific management of the waste, ensuring that no foul smell and air or land pollution takes place. It is made clear that if no satisfactory action is taken in terms of these directions, the Tribunal may be left with no other options except to take coercive measures under the provisions of the National Green Tribunal Act, 2010 which can include civil imprisonment and cut in or attachment of salary of the concerned heads of the departments. Under the provisions of Air Act, EP Act and SWM Rules (Rule 16), the State PCB is empowered and expected to take measures for non-compliance. Let the State PCB take necessary steps in the matter before the next date……."

प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है, जिसके दृष्टिगत जिलाधिकारी महोदय के पत्रांक–134 / एन–26 / जनरल–2021 दिनांक–22.06.2021 के द्वारा भी अनुपालनात्मक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया हैं।

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि स्थानीय निकाय क्षेत्र से जनित होने वाले ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक विधि से ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम–2016 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार डोर टू डोर कलेक्शन, पृथक्कीकरण, संवहन तथा निस्तारण किया जाना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को अविलम्ब प्रेषित किया जाये, अन्यथा स्थानीय निकाय के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम–1986 की सपठित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम–2016 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति / विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

भवदीय,

(जे0पी0मौर्य)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
1–जिलाधिकारी महोदय, बिजनौर।
2–मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–7), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
3–विधि अधिकारी–प्रथम, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय नगरपालिका परिषद नूरपुर (बिजनौर)

पत्रांक :–15 /न0पा0प0नू0/2021–22 दिनांक :– 08 नवम्बर 2021

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बिजनौर।

विषय :– **माननीय एन0जी0टी0 में दायर याचिका ओ0ए0 सं0–201/2020 अरविन्द कुमार एवं अन्य बनाम सेन्ट्रल पाल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 16/06/2021 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 134/एन/26/जनरल–2021 दिनांक 22/06/2021, पत्रांक 134/एन/26/जनरल–2021 दिनांक 26/08/2021 एवं पत्रांक 463/एन/26/जनरल–2021 दिनांक 05/10/2021 के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम–2016 के उपनियम 15 के अनुसार अपने दायित्व एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए स्थानीय निकाय क्षेत्र से जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक विधि से डोर टू डोर कलैक्शन, पृथक्कीकरण, संवहन, तथा निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं।

माननीय एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 16/06/2021 के अनुपालन के सम्बन्ध में नगरपालिका परिषद नूरपुर द्वारा की जा रही कार्यवाही का बिन्दुवार विवरण निम्नवत् है :–

1. नगरपालिका परिषद नूरपुर व तहसील चान्दपुर क्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय भूमि उपलब्ध न होने के कारण ग्राम चांगीपुर परगना बूढ़पुर तहसील चान्दपुर के अन्तर्गत शासनादेशों में गठित कमेटी की संस्तुति के आधार पर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु 1.416 है0 भूमि की खरीदारी दिनांक 23/07/2020 को बैनामे द्वारा की जा चुकी है जिसकी चार दीवारी का कार्य लगभग पूर्ण हो चूका है। (खतौनी की छाया प्रति एंव चार दीवारी के फोटोग्राफ आपके अवलोकनार्थ पताका "A" पर संलग्न) है।

2. ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत गीला–सूखा कूड़ा अलग–अलग रखने हेतु नगर के सभी वार्डों में **नीले व हरे रंग की डस्टबिन वितरण करा दिये गये।** जिसके फोटोग्राफ पताका "B" पर संलग्न) है।

3. ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की भूमि पर कार्य किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन मद में जे0सी0बी0 की खरीदारी की जा चुकी है। (छाया प्रति आपके अवलोकनार्थ पताका "C" पर संलग्न) है।

4. नगरपालिका परिषद नूरपुर सीमा अन्तर्गत **कूड़े का डोर टू डोर कलैक्शन कम्पार्टमेन्ट वाले वाहनों द्वारा ढक किया जाता है।** (फोटोग्राफ आपके अवलोकनार्थ पताका "D" पर संलग्न)

5. नगरपालिका परिषद नूरपुर द्वारा **मृतक पशुओ के शवों का निस्तारण चिन्हित हडवार स्थलो पर गढ़ढा खोदकर** नमक व चूना डालकर दफनाया जाता है।

6. नगरपालिका परिषद नूरपुर के सीमान्तर्गत लगभग कुल 9.17 टीपी0डी0 कचरा उत्पन्न होता है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र0 सं0	कचरे का प्रकार	कचरे की मात्रा (TPD)
1	गीला कचरा	5.13
2	सूखा कचरा	3.03
3	घरेलू खतरनाक अपशिष्ट	0.37
4	निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट	0.64
	योग	9.17

EO

7. उपरोक्त उत्पन्न कचरे का निस्तारण निम्न प्रकार किया जाता है :–

क्र0 सं0	कचरे का प्रकार	उत्पन्न कचरे की मात्रा (TPD)	उत्पन्न कचरे को निस्तारित करने की क्षमता (TPD)	निस्तारित कचरे की मात्रा (TPD)	अभ्युक्ति
1	गीला कचरा	2.05	2.50	2.05	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत निकाय से निकलने वाले गीले कूड़े से खाद बनाये जाने हेतु आई0टी0सी0 मॉडल पर आधारित सभी वार्डों में **कम्यूनिटी कम्पोस्टर (9X3X3 घन फीट) लगाये गये हैं साथ ही निकाय क्षेत्र में गौशाला के पास बर्मी कम्पोस्ट के लिये 16X8X4 घन फीट के 02 पिट व 10X4X2 घन फीट के 10 कम्पोस्ट पिट बनाये गये हैं**। जिनमें बर्मी कम्पोस्टिंग का कार्य किया जा रहा है। कम्यूनिटी कम्पोस्टर व कम्पोस्ट पिट के (छाया प्रति आपके अवलोकनार्थ पताका "E" पर संलग्न) है।
2	सूखा कचरा	1.18	2.00	1.18	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत सूखे कूड़े का प्रथक्करण करने हेतु 02 एम0आर0एफ0 (एक स्थाई व एक अस्थाई) का निर्माण कराया गया है। जिसके संचालन हेतु **Frankhornet Pvt.Ltd. फर्म से अनुबन्ध** पूर्व में कर लिया गया है, उक्त कूड़े के पृथक्कीकरण का कार्य फर्म द्वारा स्वयं के खर्च पर किया जा रहा है, तथा रिसाईकिल व रियूजवल कूड़े से होने वाली आय से एम0आर0एफ0 का संचालन किया जा रहा है। जिसकी आय से निकाय का कोई सरोकार नहीं है। एम0आर0एफ0 के संचालन के फोटोग्राफ व फर्म द्वारा अनुबन्ध की (छाया प्रति आपके अवलोकनार्थ पताका "F" पर संलग्न) है।
3	घरेलू खतरनाक अपशिष्ट	0.15	0.50	0.15	घरेलू खतरनाक कचरे के निस्तारण के लिये 02 कबाड़ी वालों से अनुबन्ध कर लिया गया है जो **घरेलू खतरनाक कचरे को निस्तारण के लिये अधिकृत वेन्डर को देते है**। (कबाड़ी वालो की सूची पताका "G" पर संलग्न) है।
4	निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट	0.64	1.00	0.64	निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट को एक जगह एकत्र कर लिया जाता है जिसका उपयोग सड़क निर्माण/भूमि भराव आदि के प्रयोग में ले लिया जाता है।
	योग	4.02	6.00	4.02	
5	मिश्रित	5.15	6.00	5.15	मिश्रित कूड़ा नगरपालिका परिषद नूरपुर के

EO

	कूड़ा				ढके हुए वाहनों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु **150 माईक्रोन पॉलिथीन के बेस से तैयार 20X20 वर्ग मी0** की समतल भूमि पर ले जाया जाता है। मिश्रित कचरे से दुगन्ध न आने के लिये **बायोकल्चर का छिड़काव** किया जाता है। नगरपालिका परिषद नूरपुर में चिन्हित रैग पिकर के द्वारा गीले व सूखे कचरे की छटाई की जाती है। सूखे कचरे को नगरपालिका में स्थित एम0आर0एफ0 सेन्टर पर लाया जाता है। तथा गीले कचरे का ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन भूमि पर बनी **कम्पोस्ट पिट द्वारा खाद तैयार किया जाता है।** (उक्त से सम्बन्धित सभी फोटोग्राफ पताका "H"पर संलग्न) हैं।
6	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन भूमि पर पड़े लेगेसी वेस्ट की स्थिति				ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन भूमि पर पड़े लिगेसी वेस्ट को नगरपालिका में **रजिस्टर्ड रैग पिकर्स व 30,10 एम0एम0 साईज की स्क्रीन** द्वारा सूखे कचरे को पृथक कर अलग कर लिया गया है व उससे निकलने वाली **खाद को किसानों को उपलब्ध करा दिया गया है।** अब वहां पर किसी प्रकार की कोई दुर्गन्ध नहीं है, लेगेसी वेस्ट निस्तारण के पूर्व व वर्तमान फोटोग्राफ एवं रैग पिकर्स की सूची आप महोदय के अवलोकनार्थ (पताका "I" पर संलग्न) है।

8. आप महोदय के कार्यालय पत्र सं0 – 4726(6)/21–एल0बी0सी0–2021 दिनांक 15 सितम्बर 2021 के अन्तर्गत नगरपालिका को 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्राप्त निर्दिष्ट अनुदान (द्वितीय किश्त) की धनराशि से डम्पिंग ग्राउन्ड पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अन्तर्गत कूड़ा निस्तारण प्लांट क्षमता 20 TPD (ट्रोमल मशीन 5 कनवेयर वेल्ट के साथ क्षमता 20 TPD, प्लास्टिक वेलिंग प्रेस मशीन, खाद वनाने के लिए ऑटोमेटिक रिफाइनमेंट प्लांट क्षमता 12 TPD, वेजीटेवल श्रेडर मशीन क्षमता 01 TPD, 08 सेट सेग्रीगेटिड विंन्स क्षमता 500 ली, 01 सेट मैगनेट,01 सेट एयर व्लोअर, 04 स्वचालित वर्गाकार छटाई मेज ल0 28 मीटर की आपूर्ति किये जाने हेतु दिनांक 01/10/2021 से 30/10/2021 को समय 2:00 बजे तक ई–टेन्डरिंग के माध्यम से टेण्डर आमन्त्रित किये गये थे परन्तु पात्र आपूर्ति दाता उपलब्ध न होने के कारण पुनः ई–टेण्डरिंग दिनांक 15/11/2021 को 4:00 बजे तक आमन्त्रित किये गये हैं। जिसकी सूचना विज्ञप्ति पताका "J" पर संलग्न) है।

अतः महोदय माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 16/06/2021 का अक्षरतः अनुपालन किये जाने हेतु उपरोक्तानुसार अनुपालन आख्या आपकी सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अजीत कुमार सिंह)
अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद
नूरपुर जनपद – बिजनौर।

प्रतिलिपि :–

1. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) महोदय बिजनौर की सेवा में समुचित आदेश दिये जाने हेतु।
2. उपजिलाधिकारी, महोदय चान्दपुर की सेवा में सूचनार्थ एवं समुचित आदेश दिये जाने हेतु।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड बिजनौर को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

भवदीय

(अजीत कुमार सिंह)
अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद
नूरपुर जनपद – बिजनौर।

BHULEKH
Uttar Pradesh

'A'

खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : चांगीपुर   परगना : (बूढपुर)   तहसील : चाँदपुर   जनपद : बिजनौर   फसली वर्ष : 1426-1431   भाग : 1   खाता संख्या : 00137

खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश	टिप्पणी
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।				
भूदेव सिंह चौहान / शंकर सिंह / नि. देवकुंज मुरादाबाद रोड नूरपुर	1मि	1.4160	1429 फ0 न्या0 नायब तहसीलदार बूढपुर के वाद सं0 2921/2021 टी 202013160202921 दिनांक 12.10.2021 को आदेश हुआ कि खाता सं0 137 के खसरा स0 1मि0 रकवा 1.416हे0 लगान मु0 ख0 से विक्रेता भूदेव सिह चौहान पुत्र शंकर सिह नि0 मौ0 रामनगर कस्बा नूरपुर परगना बूढपुर तहसील चान्दपुर जिला बिजनौर का नाम खारिज कर नगरपालिका परिषद नूरपुर द्वारा अध्यक्ष श्रीमति फारीना इरशाद पत्नी इरशाद अली नि0 मौ0 इस्लाम नगर कस्बा नूरपुर परगना बूढपुर तहसील चान्दपुर जिला बिजनोर व अधिशासी अधिकारी दुर्गेश्वर त्रिपाठी पुत्र राधेश्याम त्रिपाठी निवासी बडहनगंज भाटपार गोरखपुर का नाम विक्रय पत्र दिनाक 23.07.2020 अकंन 83,04,840 के आधार पर दर्ज हो ह0र0का0 18.10.2021	
योग	1	1.4160		

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भवाद (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: [illegible]

Software Powered By: N... Informatics C... Uttar Pradesh State Unit ... know

NIC NATIONAL INFORMATICS CENTRE

Digital India

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
नूरपुर (बिजनौर)

BHULEKH
Uttar Pradesh

'A'

खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : चांगीपुर   परगना : (बूढपुर)   तहसील : चाँदपुर   जनपद : बिजनौर   फसली वर्ष : 1426-1431   भाग : 1   खाता संख्या : 00137

खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश	टिप्पणी
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।				
भूदेव सिंह चौहान / शंकर सिंह / नि. देवकुंज मुरादाबाद रोड नूरपुर	1मि	1.4160	1429 फ0 न्या0 नायब तहसीलदार बूढपुर के वाद सं0 2921/2021 टी 202013160202921 दिनांक 12.10.2021 को आदेश हुआ कि खाता सं0 137 के खसरा स0 1मि0 रकवा 1.416हे0 लगान मु0 ख0 से विक्रेता भूदेव सिह चौहान पुत्र शंकर सिह नि0 मौ0 रामनगर कस्बा नूरपुर परगना बूढपुर तहसील चान्दपुर जिला बिजनौर का नाम खारिज कर नगरपालिका परिषद नूरपुर द्वारा अध्यक्ष श्रीमति फारीना इरशाद पत्नी इरशाद अली नि0 मौ0 इस्लाम नगर कस्बा नूरपुर परगना बढपुर तहसील चान्दपुर जिला बिजनोर व अधिशासी अधिकारी दुर्गेश्वर त्रिपाठी पुत्र राधेश्याम त्रिपाठी निवासी बडहनगंज भाटपार गोरखपुर का नाम विक्रय पत्र दिनाक 23.07.2020 अकंन 83,04,840 के आधार पर दर्ज हो ह0र0का0 18.10.2021	
योग	1	1.4160		

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भ्रगड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: ...

Software Powered By ... Informatics Centre Uttar Pradesh State Unit Lucknow

NATIONAL INFORMATICS CENTRE
Digital India

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
नूरपुर (बिजनौर)

कार्यालय नगरपालिका परिषद नूरपुर (बिजनौर)

'A'

डम्पिंग ग्राउण्ड की चार दीवारी।

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद
नूरपुर (बिजनौर)

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद
नूरपुर (बिजनौर)

'B'

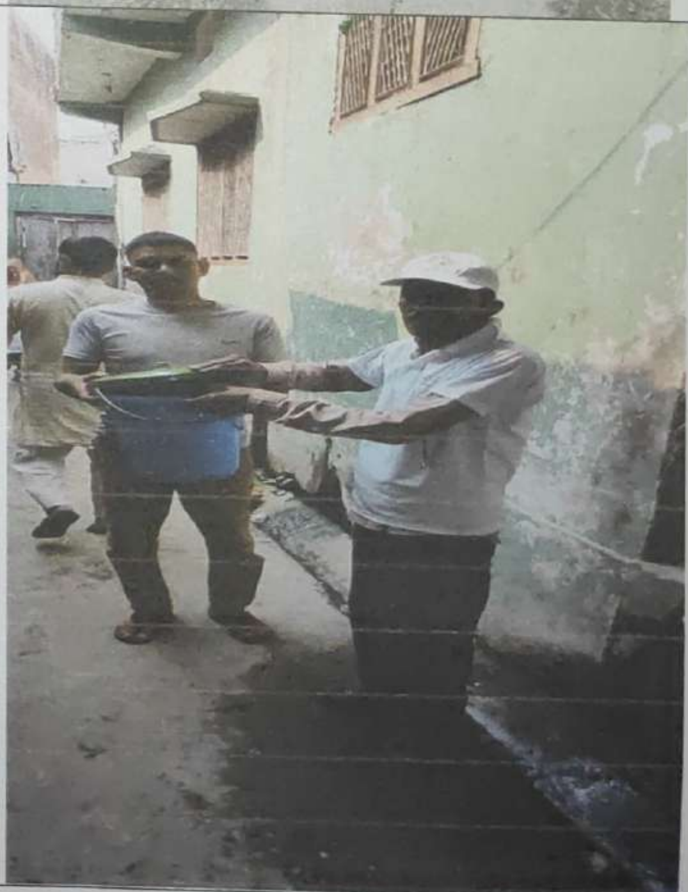

[signature]

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
नूरपुर (बिजनौर)

'B'

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
नूरपुर (बिजनौर)

कार्यालय नगरपालिका परिषद नूरपुर (बिजनौर)

'C'
बिन्दु सं0—03 पताका B जे0सी0बी0 फोटोग्राफ।

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद
नूरपुर (बिजनौर)

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
नूरपुर (बिजनौर)

कार्यालय नगरपालिका परिषद नूरपुर (बिजनौर)

1. पताका D सूखे व गीले कूड़े को ढक्कर एम0आर0एफ0 सेण्टर तक ले जाना फोटोग्राफ।

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद
नूरपुर (बिजनौर)

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
नूरपुर (बिजनौर)

कार्यालय नगरपालिका परिषद नूरपुर (बिजनौर)

बिन्दु सं0– पताका E कम्पोस्ट पिट फोटोग्राफ।

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद
नूरपुर (बिजनौर)

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
नूरपुर (बिजनौर)

कार्यालय नगरपालिका परिषद नूरपुर (बिजनौर)

बिन्दु सं0– पताका ~~B~~ E कम्यूनिटि कम्पोस्टर फोटोग्राफ।

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद
नूरपुर (बिजनौर)

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
नूरपुर (बिजनौर)

कार्यालय नगरपालिका परिषद नूरपुर (बिजनौर)

1. पताका E स्थाई एम0आर0एफ0 सेण्टर ।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
नूरपुर (बिजनौर)

कार्यालय नगरपालिका परिषद नूरपुर (बिजनौर)

2. पताका से अस्थाई एम0आर0एफ0 सेण्टर ।

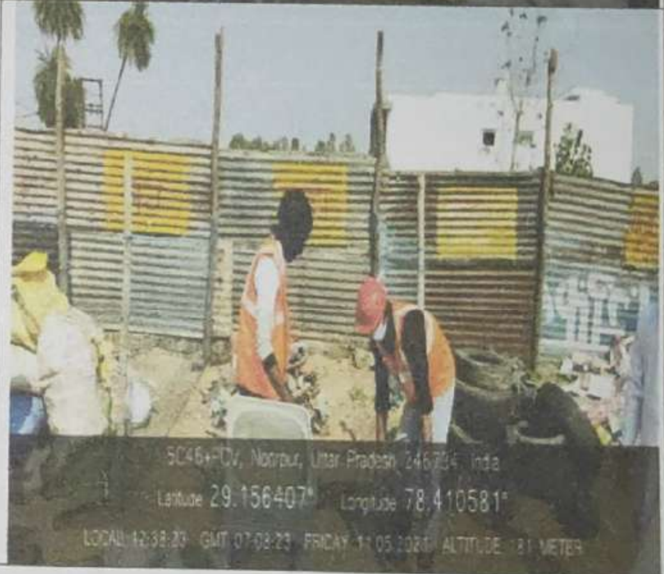

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद
नूरपुर (बिजनौर)

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
नूरपुर (बिजनौर)

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UP11615015990083T
Certificate Issued Date	:	25-Oct-2021 11:29 AM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14319804/ CHANDPUR/ UP-BJN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14319804127212081429577T
Purchased by	:	FRANK HORNET PVT LTD
Description of Document	:	Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	NA
Second Party	:	FRANK HORNET PVT LTD
Stamp Duty Paid By	:	FRANK HORNET PVT LTD
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

....Please write or type below this line...

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
नूरपुर (बिजनौर)

FRANKHORNET PVT. LTD.
Director

Statutory [illegible]
1. The [illegible] the Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding [illegible] the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The [illegible] the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case [illegible] please inform the Competent Authority.

<u>अनुबन्ध–पत्र</u>

प्रथम पक्ष :– नगरपालिका परिषद नूरपुर (बिजनौर)।
द्वितीय पक्ष :– फ्रेन्क होर्नेट पाईवेट लिमिटेड संचालक का नाम – विनीत दीक्षित, शास्त्री नगर मैन रोड सीतापुर (उ0प्र0)

1. प्रथम पक्ष की सीमान्तर्गत निकलने वाला सूखा कूड़ा प्रथम पक्ष द्वारा अपने वाहन से संग्रहित करके द्वितीय पक्ष के सेन्टर पर पहुंचाया जायेगा।
2. द्वितीय पक्ष द्वारा उक्त सूखे कूड़े को अलग–अलग किया जायेगा व कूड़े के पृथक्कीकरण का काम द्वितीय पक्ष द्वारा स्वयं अपने खर्च पर किया जायेगा तथा रिसाईकिल एवं रियूजेबल कूड़े को अपने उपयोग में लायेगा एवं उससे होने वाली आय का प्रथम पक्ष से कोई सम्बन्ध /सरोकार नहीं होगा।
3. प्रथम पक्ष यह अनुबन्ध शासन/जिलाधिकारी महोदय के आदेश प्राप्त होने पर या अन्य कोई कारण से किसी भी समय समाप्त कर सकता है।
4. द्वितीय पक्ष द्वारा ठीक प्रकार से कूड़ा प्रथक्कीकरण न करने पर भी अनुबन्ध प्रथम पक्ष समाप्त कर सकता है।
5. यह अनुबन्ध छः माह के लिये प्रभावी होगा।

प्रथम पक्ष

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
नूरपुर (बिजनौर)

द्वितीय पक्ष

FRANKHORNET PVT. LTD.

Director

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

RABIYA PARVEEN
BIJNOR
U.P.
ACC Code - UP14152104

Certificate No.	:	IN-UP24299137974169T
Certificate Issued Date	:	03-Nov-2021 04:04 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14152104/ BIJNOR SADAR/ UP-BJN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14152104382287089104711T
Purchased by	:	FIROZ AHMAD SO SHARIF AHMAD
Description of Document	:	Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	FIROZ AHMAD SO SHARIF AHMAD
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	FIROZ AHMAD SO SHARIF AHMAD
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

----------Please write or type below this line----------

फिरोज अहमद

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
नूरपुर (बिजनौर)

फिरोज अहमद

अनुबन्ध–पत्र

प्रथम पक्ष :– नगरपालिका परिषद नूरपुर (बिजनौर)।
द्वितीय पक्ष :– एम0आर0एफ0 सेन्टर 02 संचालक का नाम – फिरोज अहमद पुत्र शरीफ अहमद निवासी– मौ0 शहीदनगर वार्ड सं0–22 नूरपुर (बिजनौर)

1. प्रथम पक्ष की सीमान्तर्गत निकलने वाला सूखा कूड़ा प्रथम पक्ष द्वारा अपने वाहन से संग्रहित करके द्वितीय पक्ष के सेन्टर पर पहुंचाया जायेगा।
2. द्वितीय पक्ष द्वारा उक्त सूखे कूड़े को अलग–अलग किया जायेगा व कूड़े के पृथक्कीकरण का काम द्वितीय पक्ष द्वारा स्वयं अपने खर्च पर किया जायेगा तथा रिसाईकिल एवं रियूजेबल कूड़े को अपने उपयोग में लायेगा एवं उससे होने वाली आय का प्रथम पक्ष से कोई सम्बन्ध /सरोकार नहीं होगा।
3. प्रथम पक्ष यह अनुबन्ध शासन/जिलाधिकारी महोदय के आदेश प्राप्त होने पर या अन्य कोई कारण से किसी भी समय समाप्त कर सकता है।
4. द्वितीय पक्ष द्वारा ठीक प्रकार से कूड़ा प्रथक्कीकरण न करने पर भी अनुबन्ध प्रथम पक्ष समाप्त कर सकता है।
5. यह अनुबन्ध छः माह के लिये प्रभावी होगा।

प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष
अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद नूरपुर (बिजनौर)	फिरोज अहमद फिरोज अहमद

G

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

RABIYA PARVEEN BIJNOR ACC Code- UP14152104

Certificate No.	:	IN-UP24298620407326T
Certificate Issued Date	:	03-Nov-2021 04:03 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14152104/ BIJNOR SADAR/ UP-BJN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14152104382274167469 65T
Purchased by	:	KISMAT ALI SO SHAKUR ALI
Description of Document	:	Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	KISMAT ALI SO SHAKUR ALI
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	KISMAT ALI SO SHAKUR ALI
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

.......................Please write or type below this line.......................

किसमत अली

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
नूरपुर (बिजनौर)

किसमत अली

अनुबन्ध–पत्र

प्रथम पक्ष :– नगरपालिका परिषद नूरपुर (बिजनौर)।
द्वितीय पक्ष :– एम0आर0एफ0 सेन्टर 02 संचालक का नाम – किस्मत अली पुत्र शकूर अली निवासी–इसबपुर बरपेटा (आसाम) वर्तमान निवास का पता :– मौ0 गांधीनगर वार्ड सं0–03 नूरपुर (बिजनौर)

1. प्रथम पक्ष की सीमान्तर्गत निकलने वाला सूखा कूड़ा प्रथम पक्ष द्वारा अपने वाहन से संग्रहित करके द्वितीय पक्ष के सेन्टर पर पहुंचाया जायेगा।
2. द्वितीय पक्ष द्वारा उक्त सूखे कूड़े को अलग–अलग किया जायेगा व कूड़े के पृथक्कीकरण का काम द्वितीय पक्ष द्वारा स्वयं अपने खर्च पर किया जायेगा तथा रिसाईकिल एवं रियूजेबल कूड़े को अपने उपयोग में लायेगा एवं उससे होने वाली आय का प्रथम पक्ष से कोई सम्बन्ध /सरोकार नहीं होगा।
3. प्रथम पक्ष यह अनुबन्ध शासन/जिलाधिकारी महोदय के आदेश प्राप्त होने पर या अन्य कोई कारण से किसी भी समय समाप्त कर सकता है।
4. द्वितीय पक्ष द्वारा ठीक प्रकार से कूड़ा प्रथक्कीकरण न करने पर भी अनुबन्ध प्रथम पक्ष समाप्त कर सकता है।
5. यह अनुबन्ध छः माह के लिये प्रभावी होगा।

प्रथम पक्ष

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
नूरपुर (बिजनौर)

द्वितीय पक्ष

किस्मत अली

किस्मत अली

कार्यालय नगरपालिका परिषद नूरपुर (बिजनौर)

1. पताका [illegible] डम्पिंग ग्राउण्ड पर 10X10 की पिट ।

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद
नूरपुर (बिजनौर)

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
नूरपुर (बिजनौर)

कार्यालय नगरपालिका परिषद नूरपुर (बिजनौर)

कूड़ा बीनने वाले व्यक्तियों की सूची (Rag pickers)

क्र0 सं0	नाम	पिता/पति का नाम	स्थाई पता	मोबाईल नम्बर	आधार संख्या
1	श्री किस्मत अली	शुकुर अली	ग्राम–इसबपुर बरपेटा, आसाम हाल निवासी मौ0 गांधीनगर नूरपुर (बिजनौर)	9012134812	929470492241
2	श्री बाबूल अख्तर	अमजद अली	ग्राम–पखकता बोगेगांव, आसाम		
3	शोना मियाँ	अब्दुल माजिद	ग्राम– दिगजानी कालगचिया डिग्जनी बरपेटा, आसाम	9027200482	882664590881
4	श्री अनवर हुसैन	शकूर अली	ग्राम–इसबपुर बरपेटा, आसाम	8532878811	581530406525
5	श्रीमती फईमा खातून	शाहजान अली	ग्राम– अपपूपी पोस्ट, चांदमामा, आसाम	7055410591	863956245711
6	श्री असरूद्दीन	हकीमुद्दीन	ग्राम– बरपेटा, आसाम	7055410591	277098097552
7	श्रीमती हिफजा खातून	असरोब अली	ग्राम व पोस्ट मोईबोरी, आसाम	9306075013	894937438170
8	श्री असरोब अली	हबिबर रहमान	ग्राम व पोस्ट मोईबोरी, आसाम	9306075013	889514404097
9	श्री शाहजान अली	श्री मौ0 अजहर अली	ग्राम अपूपी, चाँद मामा आयाम	7055410591	863956245711

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद
नूरपुर (बिजनौर)

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
नूरपुर (बिजनौर)

<u>कार्यालय नगरपालिका परिषद नूरपुर (बिजनौर)</u>

1. पताका (I) डम्पिंग साइट की वर्तमान फोटोग्राफ।

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद
नूरपुर (बिजनौर)

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
नूरपुर (बिजनौर)

'J'

कार्यालय नगरपालिका परिषद, नूरपुर (बिजनौर)

अति अल्पकालीन ई–टेण्डर – (संशोधित विज्ञप्ति)

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगरपालिका परिषद नूरपुर जनपद–बिजनौर द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के मद मे मशीन खरीदारी हेतु पंत्र सं0–2172/न0पा0परि0नू0 दिनांक 30/09/2021 के माध्यम से ई–टेण्डर दिनांक 30/10/2021 तक अपलोड किये जाने का समय दिया गया था। योग्य आपूर्ति दाता न मिलने के कारण पुनः ई–टेण्डर के माध्यम से दिनांक 04/11/2021 से 15/11/2021 समय अपराहनः 2:00 बजे तक www.etender.up.nic.in टेण्डर अपलोड कर सकते है।

Tender Refrance Number	No. 2188 Dated – 03.11.2021
Publish Date and time for RFP	04–11–2021 को प्रातः 10:00 बजे से
Last Date and time for submission of E-Tender	15–11–2021 को अपराहन 2:00 बजे तक
Date and time of Opening Tender	15–11–2021 को 4:00 बजे सांय
Place of Opening E-Tender	Executive Officer Nagar Palika Parishad Noorpur (Bijnor)
E-Tender Security	10% of Tender Value
E-Tender document processing	As per tender list

नोट नोटः–(1) जमानत राशि एंव टेण्डर मूल्य 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से नगरपालिका परिषद नूरपुर के प्रथमा यू0पी0 ग्रामीण बैंक नूरपुर के बैंक खाते संख्या–92822100000114 में भी जमा की जा सकती है।

2. अन्य शर्ते कार्यालय नगरपालिका परिषद नूरपुर में देखी जा सकती है।

(उमेश बाबू)
अवर अभियन्ता

(अजीत कुमार सिंह)
अधिशासी अधिकारी

(फारीना इरशाद)
अध्यक्ष

नगरपालिका परिषद नूरपुर

पत्रांकः 2189/न.पा.परि. नूरपुर /2021–22 दिनांकः 03 नवम्बर 2021

प्रतिलिपिः–

1–सम्पादक, दैनिक हिन्दुस्तान टाईम्स/बिजनौर टाईम्स समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि कृपया निविदा का प्रकाशन (छोटे से छोटे साईज में) अपने समाचार पत्र में एक बार कराकर 05 प्रतियों सहित न्यूनतम सरकारी दरों पर बिल इस कार्यालय को भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।
2–जिलाधिकारी महोदय बिजनौर के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3–अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) बिजनौर के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4–प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय बिजनौर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
5–उपजिलाधिकारी महोदय चान्दपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
6–पालिका कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
7–सम्बन्धित निकाय पत्रावली हेतु।

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद नूरपुर (बिजनौर)

Received By
Anil
25-9-2020

कार्यालय ज्ञाप

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिन्सीपल बैंच, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–201/2020, अरविन्द कुमार व अन्य बनाम सेन्ट्रल पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15 सितम्बर, 2020 के अन्तर्गत ग्राम चांगीपुर, जनपद बिजनौर में नगर पालिका परिषद नूरपुर द्वारा सड़क के किनारे अवैज्ञानिक तरीके से कूडे को डम्प कर दुर्गन्ध व प्रदूषण फैलाये जाने एवं नगर पालिका परिषद द्वारा उक्त समस्या का निदान न किये जाने के संबंध में, राज्य पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड, जिला मजिस्ट्रेट बिजनौर एवं नगर पालिका परिषद नूरपुर की एक संयुक्त जांच समिति गठित करते हुए, प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष तथ्यात्मक आख्या प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

तत्सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपने आदेश दिनांक 22.09.2020 के अन्तर्गत मा0 अधिकरण द्वारा दिये गये आदेश दि0 15 अगस्त, 2020 के अनुक्रम में निम्नानुसार समिति का गठन किया गया है एवं निर्देश दिये गये है कि गठित समिति प्रश्नगत प्रकरण में जांचोपरान्त, अद्यतन शासनादेशों एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिन्सीपल बैंच, नई दिल्ली के समक्ष निर्धारित समयावधि के भीतर तथ्य प्रस्तुत करेगी।

1– उप–जिलाधिकारी, चॉदपुर।
2– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।
3– अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद नूरपुर।

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
बिजनौर।

कार्यालय जिलाधिकारी, बिजनौर।

ACC₂
25/9/20

संख्या–3400/21–एल0बी0सी0–2020 दिनांक 23 सितम्बर, 2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

1– जिलाधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।
2– उप–जिलाधिकारी चॉदपुर, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद नूरपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिये गये आदेश दि0 15 अगस्त, 2020 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, आवश्यक कार्यवाही करने एवं मा0 अधिकरण के समक्ष निर्धारित समयावधि के भीतर तथ्यात्मक आख्या प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

23/9/20

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
बिजनौर।